

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं०:—382/2026

सी०एन०आर०नं०— यू०पी०जे०पी० 010043182026

मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।

06.06.2026

आवेदिका/अभियुक्ता मीना देवी के द्वारा मु०अ०सं०—193/2026, धारा—115(2), 123, 351(3) बी०एन०एस०, थाना—लाइनबाजार, जिला जौनपुर के मुकदमें में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पुकार करायी गयी। पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या में आवेदिका/अभियुक्ता की उपरोक्त अपराध में वांछित अभियुक्त न होने व उसकी तलाश न किये जाने का अंकन किया गया है। इस आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न देने का अंकन किया गया है। अतः आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक—06.06.2026

नितिन कुमार/—

सत्र न्यायाधीश,

जौनपुर।